राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/अना./निलामी/2025–26/ दिनांक

नीलामी सूचना प्रकाशन 01/2025–26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खनि अभियन्ता, सोजतसिटी कार्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी/सरकारी खसरों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान आर.एम.एम.सी.आर. 2017 के नियम 54 व 60 के तहत् जब्तशुदा खनिज बजरी जैसी भी जितनी भी जहां भी है, उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in तथा पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रूपये 1000/– का डी.डी./बैंकर्स चैक खनि अभियन्ता, सोजतसिटी (MINING ENGINEER, SOJATCITY) के नाम जमा कराकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 05.05.2025 दोपहर 3 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजतसिटी से प्राप्त किये जा सकते है।

नीलामी हेतु खनिज बजरी का संक्षिप्त विवरणः–

क. सं.	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या तहसील (जहॉ जब्तशुदा बजरी पड़ी है)	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (रू.में)	न्यूनतम बोली राशि (रू. में)/प्रति टन
1	ग्राम जवड़िया तहसील पाली	213	9585	95850
2	घोडावड तहसील जैतारण	100	4500	45000

जब्तशुदा खनिज बजरी की बोली दरें सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 06.05.2025 को शाम 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजतसिटी में प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 07.05.2025 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खनि अभियन्ता, सोजतसिटी व विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in तथा पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगीः–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदायें कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजत सिटी में रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक दिनांक 06.05.2025 को शाम 5 बजे तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति में वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता, सोजत सिटी के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिए निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक अलग–अलग के संलग्न करने होगे । निविदा राशि 10 रू प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/ स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा **दिनांक 07.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे** [illegible] निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजत सिटी में खोली जाकर उच्चतम निविदा की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति [illegible] कार्य दिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि ऑनलाईन विभागीय मद [illegible] करायेंगे। राशि जमा होने की तिथि से 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ली जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vineet Gahlot
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.04.28 18:29:10 IST
Reason: Approved

7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। उक्त कार्यवाही में किसी भी तरह जन हानि/दुर्घटना अथवा टूट–फूट के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाले समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारी नामा एवं मुख्त्यार नामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निवेशकों की सूची इत्यादि की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ में सलग्न करनी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र पाली होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजत सिटी द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों निर्गमन से पूर्व उनका इंद्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वजन पर्ची खनि अभियन्ता, सोजतसिटी को व्हाटसअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
15. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नहीं होगा । सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
20. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

(विनीत गहलोत)
खनि अभियंता
सोजत सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vineet Gahlot
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.04.28 18:29:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14981991

क्रमांकः—खअ / सोजत / अना / निलामी / 2025—26 /   दिनांक

प्रतिलिपिः— निम्न को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः—

1. श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, पाली।
3. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. डी.एम.जी.ओ.एम.एस. निदेशालय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग को वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर।
6. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता(सतर्कता), जोधपुर।
8. सहायक खनि अभियंता (सत.) सोजत सिटी।
9. सम्बन्धित थानाधिकारी।
10. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
11. वरिष्ठ खनि कार्यदेशक / खनि कार्यदेशक II, कार्यालय हाजा।
12. निलामी कमेटी सदस्य श्री..कार्यालय खनि अभियंता सोजत सिटी।
13. नोटिस बोर्ड।

(विनीत गहलोत)
खनि अभियंता
सोजत सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vineet Gahlot
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.04.28 18:29:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14981991

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ / सोजत / अना / निलामी / 2025–26 /   दिनांक

नीलामी सूचना प्रकाशन 01 / 2025–26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खनि अभियन्ता, सोजतसिटी कार्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी / सरकारी खसरों में अवैध खनन / निर्गमन चैकिंग के दौरान आर.एम.एम.सी.आर. 2017 के नियम 54 व 60 के तहत् जब्तशुदा खनिज बजरी जैसी भी जितनी भी जहां भी है, उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in तथा पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रूपये 1000 / – का डी.डी. / बैंकर्स चैक खनि अभियन्ता, सोजतसिटी (MINING ENGINEER, SOJATCITY) के नाम जमा कराकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 05.05.2025 दोपहर 3 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजतसिटी से प्राप्त किये जा सकते है।

नीलामी हेतु खनिज बजरी का संक्षिप्त विवरणः–

क. सं.	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या तहसील (जहॉ जब्तशुदा बजरी पड़ी है)	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना / अमानत राशि (रू.में)	न्यूनतम बोली राशि (रू. में) / प्रति टन
1	ग्राम जवड़िया तहसील पाली	213	9585	95850
2	घोडावड तहसील जैतारण	100	4500	45000

विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी जब्तशुदा बजरी हेतु बोली दरें मय बयाना / अमानत राशि उक्तानुसार का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, के नाम हो, सीलबंद लिफाफे में दिनांक 06.05.2025 सायं 5 बजे तक प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 07.05.2025 को प्राप्तः 11:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगें, नीलामी की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड, विभागीय वैबसाईट व एसपीपी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

UBN NO.

(विनीत गहलोत)
खनि अभियंता
सोजत सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vineet Gahlot
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.04.28 18:29:10 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

<u>कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली</u>

क्रमांकः–खअ/सोजत/अना/निलामी/2025–26/ दिनांक

प्रेषितिः–

श्रीमान सम्पादक,
दैनिक नवज्योति, पाली।

विषयः– निलामी सूचना संख्या 01/2025–26 के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के साथ कार्यालय द्वारा जारी निलामी सूचना संख्या 01/2025–26 संलग्न हैं, जिसे पाली संस्करण में नियमानुसार न्यूनतम स्पेस में डी.आई.पी.आर. राजस्थान द्वारा निर्धारित दर पर प्रकाशित करावे। प्रकाशन व्यय का समाचार पत्र कम्पनी का विपत्र मय प्रकाशन की प्रति दो प्रतियों में इस कार्यालय को भिजवाने की कार्यवाही करावे।

संलग्नः– निलामी सूचना।

खनि अभियंता
सोजत सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vineet Gahlot
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.04.28 13:29:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14981991

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ / सोजत / अना / निलामी / 2025–26 / दिनांक

–ःकार्यालय आदेशः–

कार्यालय / विभिन्न थानों अथवा सक्षम प्राधिकृत संस्था द्वारा पाली जिले में अवैध खनन / निर्गमन चैंकिग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता हैंः–

1. खनि अभियंता, कार्यालय हाजा।
2. संबंधित क्षैत्र का खनि कार्यदेशक, कार्यालय हाजा।
3. सहायक लेखाधिकारी II, कार्यालय हाजा।
4. कनिष्ठ सहायक, अनाधिकृत खनन शाखा, कार्यालय हाजा।

उपरोक्त कमेटी सदस्यों द्वारा नियमानुसार निलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं सहायक खनि अभियंता / संबंधित क्षैत्र के खनि कार्यदेशक द्वारा जब्त बजरी की मात्रा का आकंलन, उच्चतम बोंलीदाताओं को सुपुर्दगी आदि की कार्यवाही की जायेगी। समस्त की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय–समय पर प्रस्तुत करनी होगी।

खनि अभियंता
सोजत सिटी

क्रमांकः–खअ / सोजत / अना / निलामी / 2025–26 / दिनांक .04.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सादर सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) खान एवं भू–विज्ञान विभाग जोधपुर।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि, खान एवं भू–विज्ञान विभाग जोधपुर।
3. संबंधित कमेटी सदस्य श्री.....................................

खनि अभियंता
सोजत सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vineet Gahlot
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.04.28 18:29:10 IST
Reason: Approved